



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक— 10 नि0 (किराया) 10/2024.....

दिनांक—/2025

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :- प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, डेरनी, सारण का मकान किराया दिनांक—01.10.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक रू0 3,810 (तीन हजार आठ सौ दस) मात्र प्रतिमाह की दर से भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

2. जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण (छपरा) इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
3. व्यय का विकलन वजट मुख्य शीर्ष—2403 पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—101, पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग सं0— 02 उपशीर्ष—0003 अस्पताल एवं औषधालय और अन्य स्थापना विपत्र कोड 02—2403001010003 ईकाई—1401 के अन्तर्गत किराया, महसूल एवं कर के अन्तर्गत बजट में उपवंधित/आवंटित राशि से होगी।
4. वित्त विभाग के संकल्प सं0—678/(वि0), दिनांक—04.02.1988 के आलोक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राशि की निकासी के पूर्व कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. यह स्वीकृति आदेश विभागीय पत्रांक—3419 दिनांक— 19.08.2010 के द्वारा निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को किराया मद स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निर्गत है।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक :- 10 नि0 (किराया) 10/2024— 299/2024 पटना-15, दिनांक— 22/01/2025

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (सभी संबंधितों को ई—मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री नीरज कुमार, पिता— श्री नन्द किशोर शर्मा, ग्राम—डेरनी, पोस्ट— सुतीहार, थाना— डेरनी, जिला— सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण (छपरा)/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, सारण क्षेत्र, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी—08 पशुपालन निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।